

03/22 पत्रावली पेश हुई। उम्पपद्य अधिवक्ता उपस्थित।  
पत्रावली वास्ते जबान दिनांक 30.03.2022 को  
पेश हो।

03/22 पत्रावली पेश हुई। उम्पपद्य अधिवक्ता उपस्थित।  
पत्रावली वास्ते जबान दिनांक 22.04.2022 को  
पेश हो।

04/22 पत्रावली पेश हुई। उम्पपद्य अधिवक्ता उपस्थित।  
बाद मे प्रा.फत्र 0.7-R.11 स्वीकार होने के कारण  
बाद बादी खारिज किया जा चुका है। अतः प्राथमिक  
अस्थायी निषेधाज्ञा इसी स्तर पर ड्रॉप किया  
जाता है। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दृष्टर  
द्वारित हो। नियमानुसार नम्बर से कम हो।

उप खण्ड अधिकार  
पीपलू (टॉक)